2025 / 296

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47 / 2025 (राजसमन्द डिक्री)

1. वक्तावर सिंह पुत्र श्री भूरसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री श्री भैरूसिंह जी पत्नी नाथुसिंह जी जाति राजपुत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला हाल निवासी उठारड़ा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. उदयसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. सौरभ कुंवर पत्नी प्रतापसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र वाघसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. खुमाणसिंह पुत्र वाघसिंह जी जाति राजपुत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. रामसिंह पुत्र वाघसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. अभयसिंह पुत्र वाघसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. देवीसिंह पुत्र माधुसिंह जी जाति राजपूत निवासी उलपुरा मंगरा पाछला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक 14.07.2025 प्रकरण संख्या 62 / 2021 वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित :— 1— श्री भरतगिरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री मदनलाल टांक अभिभाषक रेस्पो. सं. 5

———::———

निर्णय दिनांक 26—12—2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उलपुरा में वाद पत्र की कलम सं. 1 वर्णित परिशिष्ट ''अ'' वर्णित आराजी नम्बर 360, 361, 363 से 374, 421, 426, 427, 461 कुल किता 18 रकबा 31 बीघा 6 विस्वा में वगतावरसिंह पिता भूरसिंह, भंवरकुंवर पिता भैरूसिंह, सोहनकुंवर बेवा भैरूसिंह, उदयसिंह पिता प्रतापसिंह ना.बा. ब.वि. सोरभ कुंवर बेवा प्रतापसिंह, भंवरसिंह, खुमाणसिंह, रामसिंह, अभयसिंह पिता वागसिंह, उदयकुंवर बेवा वागसिंह 2/3, देवीसिंह पिता माधुसिंह 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परिशिष्ट ''ब'' आराजी नम्बर 495/461 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा भूमि प्रतापसिंह पिता भूरसिंह, वाघसिंह पिता तेजसिंह, देवीसिंह, शम्भुसिंह पिता माधुसिंह के नाम दर्ज है। खातेदार उदयकुंवर की मृत्यु हो चूंकि है जिसके विधिक वारिस वादीगण है। परिशिष्ट ''ब'' की भूमि में वाघसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जो वादीगण के पिता है, होने से वादीगण उनके खाते की भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। खातेदार प्रतापसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 5 है तथा खातेदार शम्भूसिंह पिता माधुसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ है, जबकि माधुसिंह के केवल एक जायन्दा पुत्र देवीसिंह ही है। परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' में वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है तथा वर्तमान सभी पक्षकार आपसी सहमति से काश्त कर रहे किन्तु भूमि का अभी विधिवत् विभाजन नही हुआ है। अतः परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित [illegible] कुंवर एवं परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित वाघसिंह के नाम [illegible] कृषि भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर विवादित आराजीयात का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पक्षकारान के मध्य मीट्स एवं बाउण्ड विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बात सुनकर दिनांक 14.05.2024 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14.07.2025 को अन्तिम डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 23.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल टांक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी नम्बर 421 का विभाजन नही किया है जबकि उक्त आराजी दावें में शामिल है तथा यह भी निवेदन किया था कि आराजी नम्बर 461 के विभाजन में नक्शे में जहॉ 461/3 अंकित किया गया है वहॉ पर अपीलान्ट का कब्जा है जबकि विभाजन में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 5 को दे दिया गया है जो भौतिक आधिपत्य के विपरीत है। विभाजन में सभी भूमियों हेतु रास्ता कायम नही किया गया है मौके पर मकान बने हुये है जिनका हवाला नही दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा मौके पर कब्जे अनुसार रास्ते छोड़ते हुये पुनः नये सिरे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाने हेतु एवं विधि अनुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक [illegible] ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी प्रतिवादीगणों ने सहमति दी है तथा आ[illegible] खारिज की गई है। आराजी नम्बर 461 का बंटवारा किया गय[illegible]। आराजी नम्बर 421 का बंटवारा किया जाना संभव नही होने से उसका बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिका.
उदयपुर (राज.)

नही किया गया है। प्रारम्भिक डिक्री की कोई अपील नही की गई है जो कि मीट्स एवं बाउण्ड् के आधार पर थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव हालांकि तहसीलदार द्वारा किया गया है, किन्तु बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। इसके अलावा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें सभी पक्षकारों के खातों का विभाजन पृथक–पृथक नहीं किया गया है तथा खसरा नंबर 421 का विभाजन ही नहीं किया गया है, जबकि आराजी नंबर 421 दावे में सम्मिलित है। अधिकांश काश्तकारों की भूमि संयुक्त रखी गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बंटवारें में आराजी नंबर 421 को भी सम्मिलित करते हुए सभी पक्षकारों के खाते पृथक–पृथक दर्ज कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested